सहायक अभियन्ता
बरेली विकास प्राधिकरण
बरेली

बरेली विकास प्राधिकरण, बरेली

रामगंगानगर आवासीय योजना के भूखण्ड का "विक्रय विलेख"

यह विक्रय विलेख दिनाँक 07/10/22 को उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत गठित विकास प्राधिकरण (द्वारा अपने उपाध्यक्ष) के प्राधिकृत अधिकारी के माध्यम से जिसे इस विलेख में आगे विक्रेता कहकर सम्बोधित किया गया है ....प्रथम पक्ष

तथा

श्री रामेश्वर दयाल पुत्र श्री पूरन लाल एवं श्रीमती विनीता भारती पत्नी श्री रामेश्वर दयाल, निवासी–पो0 नवाबगंज अख्तियारपुर बरेली उ0प्र0। जिसे, इस विलेख में आगे क्रेता कहकर सम्बोधित किया गया है,........ ....द्वितीय पक्ष

के मध्य निष्पादित किया जाता है। इस विलेख में शब्द "विक्रेता" में बरेली विकास प्राधिकरण, इसके उत्तराधिकारी, उपाध्यक्ष, सचिव एवं अन्य प्राधिकृत अधिकारी सर्वदा सम्मिलित होंगे, बशर्ते इसका अर्थ इस संदर्भ में विपरीत न हो एवं शब्द "**क्रेता**" द्वितीय पक्ष में स्वयं तथा उसके निष्पादक, प्रशासक, उत्तराधिकारी, कानूनी प्रतिनिधि तथा अनुज्ञा प्राप्त प्रतिमन्य (–) सर्वदा सम्मिलित होंगे, बशर्ते इसका अर्थ इस संदर्भ के विपरीत न हो।

अतः प्रथम पक्ष, बरेली विकास प्राधिकरण ने अपनी भूमि विकास एवं आवासीय योजना के अन्तर्गत क्षेत्र रामगंगा नगर आवासीय योजना, बरेली में स्थित भूमि का क्रय/अधिग्रहण तथा उसका विकास करके उस पर विभिन्न भूखण्ड निर्माण किये हैं तथा भूखण्डों की श्रेणी की परिभाषा उक्त योजना के नियमों में दी है तथा क्रेता के पंजीकरण संख्या–**GN1324** के विरूद्ध नकद/स्ववित्त पोषित पद्धति के अन्तर्गत दिनाँक 30.06.2021 को लाटरी–ड्रा करके भूखण्ड आवंटित किया गया है।

यह कि विलेख हेतु रामगंगा नगर आवासीय योजना के सेक्टर–2, कावेरी इंक्लेव में स्थित भूखण्ड सं0–02, श्रेणी बी, जिसका क्षेत्रफल 162.00 वर्ग मीटर है तथा जिसका विवरण इस विलेख के अन्त में संलग्न मानचित्र में स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है तथा लाल रेखांकित है, का मूल्य अंकित रू० **37,26,000/– (रू0 सैतीस लाख छब्बीस हजार मात्र)** तथा 12% फ्री–होल्ड चार्ज रू० **4,47,120/–(रू0–चार लाख सैतालिस हजार एक सौ बीस मात्र)** निर्धारित किया गया है तथा क्रेता द्वारा उपरोक्त निर्धारित सम्पूर्ण मूल्य की धनराशि का भुगतान करके प्राधिकरण कोष में जमा करा दिया गया है।

जिसकी पावती विक्रेता एतदद्वारा स्वीकार करता है। चूँकि शासनादेश सं०–1639/9–आ–1–95–80 मिस 86 आवास अनुभाग 1, दिनांक 10–5–95 द्वारा भूखण्ड को फ्रीहोल्ड रुप में हस्तांतरित करने के निर्देश दिये है

सहायक अभियन्ता
बरेली विकास प्राधिकरण
बरेली

Rameshwar Dayal

विनीता भारती